शांति v/s राज. सरकार
प्र.नं. 17/25 धारा-128 पटवार

20/5/25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12.6.25 को पेश हो।

28/5/25 प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई हेतु पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आगामी दिनांक 03.6.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

03.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
17/2025	07.03.2025	03.06.2025

बउनवान

1. शान्ति पत्नी कैलाशचन्द निवासी पाखर–2 तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. कामराज पुत्र कैलाशचन्द निवासी पाखर–2 तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. धनश्याम पुत्र कैलाशचन्द निवासी पाखर–2 तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. महेश पुत्र कैलाशचन्द निवासी पाखर–2 तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित–

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री रामअवतार सिंह नरूका।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी भूमि खसरा सं. 478/632 रकबा 1.0117 हैक्टे. ग्राम पाखर–2, पटवार हल्का पाखर–2, तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि के सटवा में ही अन्य खातेदारों की आराजी है किन्तु प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी का दिनांक 27.06.2024 को पैमाईश भी करवा ली है तथा उक्त पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार मण्डावर के समक्ष सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार मण्डावर द्वारा टीम गठित कर दिनांक 21.06.2024 को प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 478/632 का सीमाज्ञान का आदेश पारित कर दिया व आदेश की पालना में विभाग के पटवारियों द्वारा मौके पर पहुंच कर उक्त खसरा सं. 478/632 का सीमाज्ञान करके मौके पर निशानात लगाये। उसी के अनुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा सं. 478/632 में अन्य पडोसी खातेदारों की तरफ लगने वाली आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2024 के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु उचित आदेश करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्रार्थी को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

3. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार, ग्राम पाखर–2 तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 478/632 तादादी 1.0117 हैक्टे. भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार मण्डावर के द्वारा गठित टीम के द्वारा दिनांक 27.06.2024 किया जा चुका है।

4. प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम पाखर–2 तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 478/632 कुल तादादी 1.0117 हैक्टे. भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक मण्डावर को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियूक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू.अ. निरीक्षक मण्डावर मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 03.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)